

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 15, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ. 23-6-2010-अड़तीस-2,

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014

संशोधन

स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

नियम

1. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य.**—प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, अध्ययनरत विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान को सराहे जाने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है.

2. ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को इन नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं तय किये गये मापदण्डों जिन्हें आगे से स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार संशोधित नियम कहा जायेगा, के अनुसार प्रचलित होंगे. यह नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों पर लागू होंगे और राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से लागू होंगे.

3. **नियमों में संदर्भित.**—3.1 'प्राचार्य' से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य.

3.2 'शिक्षक' से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक.

3.3 'विद्यार्थी' से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी.

4. **सम्मान का स्वरूप.**—तय किए गये मापदण्डों के आधार पर राज्य स्तर पर 8 प्राचार्यों, 40 शिक्षकों तथा 200 विद्यार्थियों (स्नातक 160 एवं स्नातकोत्तर 40) का चयन पुरस्कार के लिये किया जायेगा. इन्हें नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. पुरस्कृत प्राचार्य

एवं शिक्षक आगामी वर्षों के लिये पुनः आवेदन कर सकते हैं यदि उन्होंने पूर्व पदस्थापना से भिन्न महाविद्यालय में कम से कम एक सत्र कार्य किया हो, किन्तु उत्कृष्टता के लिये पुनः चयनित होने पर उन्हें केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा तथा सम्मान राशि एवं पुरस्कार शेष चयनित सदस्यों में से सर्वोच्च गुणांक वाले प्राचार्य को प्रदान किया जायेगा।

5. **चयन हेतु मापदंड.**—संशोधित अनुलग्नक अ, ब, एवं स क्रमशः प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये संलग्न है. पुरस्कार योग्य आवेदनों पर विचार करने के लिये प्राचार्य, शिक्षक, स्नातक विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित सभी आवेदकों के लिये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रदत्त अंकों का 75 प्रतिशत पाना अनिवार्य अर्हता होगी. निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में सभी के लिये 300 अंकों का प्रावधान किया गया है. पुरस्कार हेतु विचारार्थ अनुशंसित होने के लिये इसमें 75 प्रतिशत अर्थात् 225 अंक पाना अनिवार्य है. इससे कम अंक अर्जित करने वाले आवेदनों पर किसी भी वर्ग/श्रेणी में विचार नहीं किया जायेगा. प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए आवेदन हेतु मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए ही होगा. किन्तु आवेदन के लिये विहित अनुलग्नक के भाग तीन में प्राचार्यों एवं शिक्षकों के लिये कुल 30 अंक उन्हें आवेदन करने के दिनांक तक प्राप्त सम्मान/प्रशंसा एवं प्रमाणपत्रों के लिये दिये गये हैं जिससे उनकी सतत उपलब्धियां परिलक्षित होती हैं. इसी प्रकार से स्नातक एवं स्नातक विद्यार्थियों के लिये भी अनुलग्नक के भाग तीन में कुल 10 अंक निर्धारित किये गये हैं जिससे उनकी उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता परिलक्षित हो सके. आवेदक विद्यार्थियों के लिये स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा मूल्यांकन अवधि में बिना किसी एटीकेटी/पूरक के प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. क्षे. अ. संचालक एवं प्राचार्य अपराधिक प्रकरण दर्ज किसी भी आवेदक का आवेदन अग्रेषित नहीं करेंगे. इस हेतु सभी आवेदकों से वचन पत्र लिये जाएं. वचनपत्र के बिना आवेदन पत्र स्वीकृत ही नहीं किये जाएं.

6. **चयन की प्रक्रिया.**—पुरस्कारों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी,—

- 6.1 प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा माह जुलाई में प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाएगा. आवेदन प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विचार के लिए मान्य नहीं किया जाएगा.
- 6.2 **निर्धारित मापदण्डों के अनुसार.**—6.2.1 प्राचार्य अपना आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को भेजेंगे. प्राचार्यों के लिए विषय एवं संकाय का बंधन नहीं होगा. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक मापदण्डों के अनुरूप प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर सभी संभागों के लिये पृथक्-पृथक् संभागों में सर्वोच्च गुणांक प्राप्त करने वाले दो-दो प्राचार्यों का पैनल तैयार करेंगे, और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे. इस प्रकार आठ संभागों में प्रत्येक से एक-एक कुल आठ प्राचार्यों को पुरस्कृत करने के लिये सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से 16 प्राचार्यों के नाम प्राप्त होंगे जो कि कण्डिका-7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग अनुशंसा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे. स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा कमेटी निर्णायक मंडल को पुरस्कार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.
- 6.2.2 सभी संभागों में (सभी पांच संकायों में से प्राप्त) पृथक्-पृथक् शिक्षकों को उत्कृष्ट पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा. इस प्रकार वर्तमान में कुल 8 संभागों के पांच संकायों के अधिकतम 40 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा. प्रत्येक महाविद्यालय के लिये प्राचार्य गुणानुक्रम के आधार पर अपने महाविद्यालय से पांच संकायों (जैसा महाविद्यालय के लिये लागू हो.) में से सर्वाधिकारक वाले प्रत्येक में से एक शिक्षक का चयन करेंगे और उसका आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेंगे. महाविद्यालयों द्वारा मापदण्डों के आधार पर चुने गए शिक्षकों की सूची में से क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार से प्रत्येक संकाय से दो-दो शिक्षकों अर्थात् अधिकतम 10 शिक्षकों का पैनल पुनः गुणानुक्रम के आधार पर तैयार करेंगे और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे. इस प्रकार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से 80 शिक्षकों के नाम प्राप्त होंगे जो कि कण्डिका-7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे. स्क्रीनिंग कमेटी निर्णायक मंडल को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.
- 6.2.3 प्रत्येक संभाग से पृथक्-पृथक् महाविद्यालय कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय के लिए (जैसा महाविद्यालय के लिये लागू हो) गुणानुक्रम के आधार पर स्नातक स्तर पर (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिये अनिवार्यतः पृथक्-पृथक्) दो-दो विद्यार्थियों तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकाय से सभी वर्गों में से सम्मिलित रूप से सर्वोच्च गुणांक प्राप्त करने वाले क्रमशः दो-दो विद्यार्थियों का चयन कर उनके नाम क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेंगे. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों से प्राप्त नामों की संभावना

सूची तैयार करेंगे और गुणानुक्रम के आधार पर विद्यार्थियों का अंतिम चयन कर सूची आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर वर्तमान में कुल 8 उच्च शिक्षा संभागों से प्रत्येक पांच संकायों में से अधिकतम 40 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होंगे तथा स्नातक स्तर पर चार वर्गों एवं पांच संकायों में सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से वर्तमान में कुल 8 संभागों से स्नातक स्तर पर अधिकतम 160 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होंगे जिनमें से पुरस्कार हेतु प्रत्येक संकाय में तथा प्रत्येक वर्ग में एक-एक नाम (जहां जैसा लागू हो और जहां जैसा विहित नियमों में उपलब्ध हो) भेजेंगे। सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकगण विद्यार्थियों के नाम आयुक्त कार्यालय भेजने के पूर्व संभागस्तर पर गठित त्रिसदस्यीय परीक्षण समिति (जिसके संयोजक वे स्वयं होंगे तथा संभाग के महाविद्यालयों के दो शिक्षक सदस्य होंगे), से परीक्षित कर स्पष्ट अनुशंसाएं भेजेंगे। इस प्रक्रिया से अंत में स्नातकोत्तर स्तर पर वर्तमान में कुल 8 उच्च शिक्षा संभागों से प्रत्येक पांच संकायों में से अधिकतम 40 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होंगे तथा स्नातक स्तर पर चार वर्गों एवं पांच संकायों में सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से वर्तमान में कुल 8 उच्च शिक्षा संभागों से अधिकतम 160 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होंगे जो कण्डिका-7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा कमेटी निर्णायक मंडल को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। क्षे. अ. संचालक इससे संबंधित समस्त रिकार्ड अपने कार्यालय में संधारित करेंगे।

- 6.2.4 प्राचार्यों के लिये विषय अथवा संकाय का बंधन नहीं रहेगा। सभी उच्च शिक्षा संभागों में नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले प्राचार्य को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कृत प्राचार्य द्वारा कालान्तर में पुनः आवेदन करने पर प्राचार्य को सम्मान राशि के स्थान पर प्रोत्साहन हेतु प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा। सभी संभागों में पृथक्-पृथक् कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय प्रत्येक में पृथक्-पृथक् नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति संकाय स्नातक स्तर पर वर्गवार एवं संकायवार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अलग-अलग पुरस्कार देय होगा। पुरस्कृत शिक्षक द्वारा कालान्तर में भिन्न महाविद्यालय में कार्य करने के उपरान्त पुनः आवेदन करने पर सम्मान राशि के स्थान पर प्रोत्साहन हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 6.2.5 प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पूर्ण एवं सही-सही प्रविष्टि कर भेजे जाएं। अपूर्ण आवेदन विचार योग्य नहीं माने जाएंगे। आवेदन में समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की अटेस्टेड छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित स्थान पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन करने की स्थिति में सभी प्रपत्र और दस्तावेज स्कैन कर आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किये जायेंगे जिसकी हार्डकॉपी प्रमाणित कर प्राचार्य/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
- 6.2.6 आवेदन में की गई प्रविष्टियों तथा संलग्न प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा। इसका उचित रूप से सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा द्वारा करवाया जाएगा।
- 6.2.7 संभाग स्तर पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को पन्द्रह दिन में पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में प्रविष्टि किया जाएगा। प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक्-पृथक् पंजी (रजिस्टर) संधारित किए जाएंगे। प्रेषित किये गये आवेदनों की प्रमाणित प्रति क्षे. अ. संचालक कार्यालय में आवश्यक रूप से संधारित किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक मूल आवेदन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। क्षे. अ. संचालकों द्वारा आयुक्त कार्यालय को प्रेषित समस्त आवेदनों की आयुक्त द्वारा गठित परीक्षण समिति द्वारा पुरस्कार वर्ष की पंजी में पन्द्रह दिवस में निम्नांकित प्रपत्र में प्रविष्टि की जाएगी। प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक्-पृथक् पंजी (रजिस्टर) संधारित किए जाएंगे।

पंजीयन क्रमांक	व्यक्ति का नाम पद	कार्यालय का पता दूरभाष क्रमांक	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6.2.8 सभी संभागों से प्राप्त प्राचार्यों एवं शिक्षकों के आवेदनों का आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नियुक्त एक त्रिसदस्यीय परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा. इसका संयोजक राजधानी स्थित महाविद्यालय का ऐसा प्राचार्य होगा जिसने उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है. इसके सदस्यों में दो ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा. उक्त समिति सभी श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर प्रविष्टिगत दोषों, कमियों, विसंगतियों, त्रुटियों आदि (यदि कोई हों) का उल्लेख करेगी और आयुक्त उच्च शिक्षा को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत करायेगी. तत्पश्चात् प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के लिये पृथक्-पृथक् अंतिम सूची तैयार करेगी और स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि उपरान्त स्क्रीनिंग कमेटी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों का चयन कर निर्धारित तिथि तक अपनी अनुशंसाएं निर्णायक मंडल को भेजेगी.

6.2.9 निर्णायक मंडल अनुशंसाएं प्राप्त होने के पुरस्कार योग्य व्यक्तियों का चयन कर सूची आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजेगा.

6.3.1 प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र ऑन लाइन उपलब्ध रहेंगे जिसे डाउनलोड कर आवेदकों द्वारा भरा जायेगा. पृथक् या भिन्न प्रारूप में आवेदन स्वीकृत नहीं होगा.

6.3.2 पुरस्कार की राशि प्राचार्य हेतु रु. एक लाख व प्रशस्ति पत्र शिक्षक हेतु रु. पचहत्तर हजार व प्रशस्ति-पत्र तथा विद्यार्थियों हेतु स्नातक स्तर पर रु. पचास हजार व प्रशस्ति-पत्र होगी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रु. पचास हजार व प्रशस्ति-पत्र होगी.

6.3.3 सभी बिन्दुओं के बारे में अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है. इनमें मूल्यांकनकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह विवेक का सही प्रयोग कर स्पष्ट अनुशंसा करें. समान अंक प्राप्त करने पर क्षेत्र.संचालक अपने स्तर पर एक समिति गठित कर प्राचार्यों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का प्रस्तुतीकरण करायेंगे और निर्धारित प्रावधान अनुसार ही सभी श्रेणियों एवं वर्गों में स्पष्ट अनुशंसाएं भेजेंगे. ऐसी स्थिति में समिति और उसके समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण आदि का रिकार्ड अपने कार्यालय में संधारित करेंगे.

7.1 **स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति.**—स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति निम्नानुसार होगी :—

7.1.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा—अध्यक्ष

7.1.2 आयुक्त द्वारा नामांकित एक अतिरिक्त संचालक—सदस्य

7.1.3 आयुक्त द्वारा नामांकित एक क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक—सदस्य

7.1.4 राज्य शासन द्वारा नामांकित अधिकारी—सदस्य

7.2 राज्य शासन आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य भी शामिल कर सकेगा.

8. **निर्णायक मंडल.**—निर्णायक मंडल के गठन का औपचारिक आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया जाएगा. निर्णायक मंडल में चार सदस्य होंगे :—

(1)	उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(3)	माननीय राज्यपाल के सचिव	सदस्य
(4)	उपसचिव (II) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग	समन्वयक

कोरम के लिए कम से कम तीन सदस्यों की सहभागिता होगी.

8.1 निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा।

8.2 पुरस्कार चयन के संबंध में आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति का संधारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इस पुरस्कार से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर आवेदक की संस्था द्वारा ही जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा, संचालक हिन्दी ग्रंथ अकादमी अथवा क्षे. अ. संचालक कार्यालय से नहीं किया जायेगा।

8.3 सामान्यतः प्रत्येक पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मंडल यदि आवश्यक समझेगा तो एक पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों का चयन कर सकेगा तथा उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।

8.4 निर्णायक मंडल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी।

9. **पुरस्कारों की घोषणा.**—निर्णायक मंडल द्वारा जिन प्राचार्यों व शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा, उनके नामों की घोषणा आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा की जाएगी जिसकी सूचना उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यक्तिगत पते पर भी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

10. **अलंकरण समारोह :**

10.1 यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

10.2 पुरस्कार के अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें शासन के नियमानुसार रेल/सड़क मार्ग का यात्रा भत्ता की पात्रता रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे। उन्हें भी यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित आयोजन का समस्त प्रबंध म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल द्वारा किया जायेगा। सुविधा की दृष्टि से विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की कार्यवाही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों की मांग पर म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल के सौजन्य से संभाग स्तर पर आयोजित करने की स्वीकृति आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान की जा सकती है।

11. **व्यय की सम्पूर्ति.**—व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ति म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित बजट से की जाएगी। अकादमी को मांग अनुसार बजट उपलब्ध कराने संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही बजट शाखा द्वारा की जायेगी। अंकेक्षण कराने की जिम्मेदारी म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी की होगी।

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जाएगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को निहित होंगे।

13. **अन्य दायित्वों का निर्वहन.**—प्रतिवर्ष आवेदन एवं चयनित व्यक्तियों का रिकार्ड (प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी) अलग-अलग फोल्डर बनाकर आवेदक संस्थाओं द्वारा संधारित किया जायेगा। केवल पुरस्कृत प्राचार्यों एवं शिक्षकों का आवेदन रिकार्ड उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित किया जाएगा। प्रतिवर्ष पुरस्कृत प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सूची को विभाग के पोर्टल पर होमपेज पर भी संधारित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव।

(अनुलग्नक "अ")

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार
 हेतु
 प्राचार्यों के लिए
 —आवेदन-पत्र—

सत्र

1. नाम—
2. पिता का नाम—
3. जन्मतिथि—
4. नियमित प्राचार्य अथवा प्रभारी प्राचार्य—
5. महाविद्यालय का नाम—
6. महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य की पदस्थापना की तिथि—
7. अनुलग्नक अ के साथ संलग्नकों की संख्या—
 - (क) भाग—एक हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 - (ख) भाग—दो हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 - (ग) भाग—तीन हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—

संलग्नकों की कुल संख्या—

8. आवेदन करने का दिनांक—
9. आवेदक का पता—
10. आवेदक का दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)—
11. आवेदक का मोबाइल—

पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो

आवेदनकर्ता प्राचार्य के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "अ" प्राचार्यों के लिये

कुल 300 अंक

(भाग—एक एवं भाग—दो के लिये मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए)

भाग—एक

क. महाविद्यालयीन विकास के लिये किये गये कार्य (130 अंक)

1. परीक्षा परिणाम

क्रम	महाविद्यालय में संचालित सभी संकायों की समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत*	अंक	अंक 55
1.1		प्रथम श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)	30	
1.2		द्वितीय श्रेणी (35 प्रतिशत से अधिक)	15	
1.3		तृतीय श्रेणी (50 प्रतिशत से अधिक)	10	

2. सेमेस्टर प्रणाली

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	अंक 10
2.1	पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया	त्रुटिविहीन कार्य निष्पादन/महाविद्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता/सॉफ्टवेयर आधारित कार्यक्रम.	2 अंक	
2.2	परीक्षा कार्य में तत्परता/नेतृत्व और विशेष व्यवस्था.	मुख्य अधीक्षक के रूप में सभी पालियों की परीक्षा में स्वयं उपस्थित रहे हों/परीक्षा आयोजित करने के लिये विशेष व्यवस्था.	2 अंक	
2.3	सेमेस्टर प्रणाली/प्रशिक्षण कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम.	सेमेस्टर प्रणाली के लिये सुझाव दिया हो/ महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजन/सूचना के अधिकार लिये जागरूकता कार्यक्रम.	2 अंक	
2.4	—	सेमेस्टर के नियम सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये.	2 अंक	
2.5	सीसीई का रख-रखाव	सीसीई का संधारण	2 अंक	

*सत्र भर में संचालित सभी पाठ्यक्रमों की समस्त कक्षाओं में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर गणना की जाए.

3. समस्याओं के समाधान के लिये विशेष प्रयास		10 अंक	
3.1	स्वॉट विश्लेषण और समाधान	महाविद्यालय की विशेषताओं-कमियों का विश्लेषण और कार्य/विद्यार्थियों की योजनाओं पर कार्य.	5 अंक
3.2	सुझाव पेटी/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/	सुझाव पेटी में प्राप्त सुझावों, शिकायतों पर कार्य	5 अंक
4. प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन		10 अंक	
4.1	अनिवार्य स्टॉक वेरिफिकेशन/ सत्यापन कार्य	ग्रंथालय/क्रीड़ा/भंडार/प्रयोगशाला/महाविद्यालय की अधोसंरचना आदि का सत्यापन कार्य.	2 अंक
4.2	शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्ति, योजनाएं, सुविधाएं	छात्रवृत्तियों का आवंटन, पात्र विद्यार्थियों के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कार्य.	2 अंक
4.3	एन. सी. सी./एन. एस. एस. की गतिविधियां	रासेयो विशेष शिविर आयोजित/विशेष अभियान/ एन. सी. सी. से संबंधित विशेष कार्य.	2 अंक
4.4	यूजीसी की योजनाएं	भवन/कक्ष/निर्माण कार्य/स्वशासी बोर्ड की मीटिंग/ अनुदान प्राप्त करने के लिये विशेष प्रस्ताव जिसका क्रियान्वयन हुआ.	2 अंक
4.5	लेखा अंकेक्षण/कैश बुक अद्यतन.	शासन के निर्देशों के अनुसार अद्यतन	2 अंक
5. जी. ई. आर. बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास		5 अंक	
5.1	कालेज चलें अभियान/रिटेंशन ड्रॉप आउट ट्रेकिंग.	पिछले सत्र की तुलना में जी. ई. आर. में वृद्धि/विद्यार्थियों का प्रवेश उपरान्त रिटेंशन/	2 अंक
5.2	ड्रॉप आउट की ट्रेकिंग	पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों का कारण-प्रतिवेदन/ रिटेंशन के लिये काउंसिलिंग.	2 अंक
5.3	प्रचार-प्रसार/विज्ञापन	विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रचार.	1 अंक
6. विद्यार्थी कल्याण		12 अंक	
6.1	विद्यार्थी कल्याण	स्नेह सम्मेलन/पुरस्कार वितरण/छात्रसंघ निर्वाचन/ विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये कार्य/विशेष प्रयत्न/खाली कक्षाओं के लिये विशेष व्यवस्था/कॉमन रूम/अनुशासन समिति/कर्तव्य और अधिकार पर उन्मुखीकरण.	3 अंक
6.2	सुरक्षा संरक्षा हेतु परामर्श / आन्तरिक सुरक्षा निगरानी	विद्यार्थी परामर्श/नैतिक बोध हेतु परामर्श प्रकोष्ठ / अवसाद ग्रस्त विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु व्याख्यान आयोजन / छात्रा सुरक्षा हेतु कार्य / महिला शिक्षक सुरक्षा के लिये जागरूकता.	3 अंक

6.3	एंटी रैगिंग अभियान	जीरो टालरेंस पॉलिसी पर कार्य/विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण आयोजन/लिस पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही/	3 अंक
6.4	शिक्षक अभिभावक योजना	शिक्षक अभिभावक योजना संचालित / अभिभावकों के साथ बैठक / संस्था के प्रत्येक शिक्षक को अभिभावकत्व की प्रेरणा और उत्तरदायित्व.	3 अंक
7. सांस्कृतिक-साहित्यिक गतिविधियों का सतत आयोजन			8 अंक
7.1	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक गतिविधियां	सत्र भर आयोजित होने वाले कार्यक्रम / वार्षिक कार्यक्रम.	2 अंक
7.2	युवा उत्सव का आयोजन	भाषण, निबंध, वाद-विवाद, अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिताएं (यदि संस्था ने अपने से इतर संस्था के साथ प्रतियोगिता / सहभागिता की)	2 अंक
7.3	बुक रीडिंग क्लब	बुक रीडिंग क्लब का गठन एवं कार्य (यदि संस्था के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भागीदारी की).	2 अंक
7.4	क्रियेटिव राइटिंग क्लब	क्रियेटिव राइटिंग क्लब का गठन कार्य (यदि संस्था के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भागीदारी की).	2 अंक
8. पुस्तकालय के विकास के लिये किये गये विशेष प्रयास			10 अंक
8.1	पुस्तकालय का विकास	पुस्तकों का रख-रखाव करने के लिये विशेष प्रबंध / पुस्तकालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिये बैठने की जगह, प्रकाश एवं पानी की व्यवस्था.	2 अंक
8.2	ई-लाईब्रेरी	ई-लाईब्रेरी / इन्प्लबनेट (सोल साफ्टवेयर) का उपयोग /	2 अंक
8.3	स्तंभ लेखन	नियमित स्तंभ का लेखन किया गया	2 अंक
8.4	शिक्षक नियमित	शिक्षक नियमित पुस्तकालय जाते हैं.	2 अंक
8.5	विद्यार्थी नियमित	विद्यार्थी नियमित पुस्तकालय जाते हैं.	2 अंक
9. पर्यावरण जागरूकता एवं परिसर सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास			10 अंक
9.1	पर्यावरण संबंधी कार्य	हरित परिसर विकास के लिये कार्य / पर्यावरण संरक्षण के लिये योजना प्रस्तुत की हो और सप्रमाण क्रियान्वयन किया हो / पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये हों.	5 अंक
9.2	वृक्षारोपण /पौधों को गोद लेना	परिसर में 50 से अधिक वृक्षारोपण एवं गोद लेने का कार्य.	5 अंक

ख. गुणवत्ता संधारित करने के लिये विशेष प्रयास (65 अंक)

अनुलग्नक "अ" प्राचार्यों के लिये

10. सतत गुणवत्ता के लिये नैक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के संदर्भ में प्रयास		10 अंक
10.1 गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन जो सम्पूर्ण सत्र में क्रियाशील रहा	एसएलक्यूएसी में कार्य / नवाचार के लिये विशेष कार्य / आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन एवं संचालन (सत्र में कम से कम दो बैठकें प्रति सेमेस्टर).	5 अंक
10.2 नैक द्वारा मूल्यांकन के लिये कार्य	एल. ओ. आई. / एस. एस. आर. का प्रेषण / नैक द्वारा प्रदत्त कार्यकाल में प्राप्त ग्रेड ए. बी. सी. / नैक पीयर टीम का दौरा / वार्षिक प्रतिवेदन नैक को प्रेषित.	5 अंक
11. संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर किये गये प्रकाशन कार्य		8 अंक
11.1 वार्षिक पत्रिका / न्यू लेटर	महाविद्यालय का न्यूजलेटर / वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन.	2 अंक
11.2 पुस्तक / संदर्भ ग्रंथ / पाठ्य सामग्री / सहायक सामग्री प्रकाशन /संपादन.	विद्यार्थियों के व्यापक हित में संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया हो.	2 अंक
11.3 पाठ्यक्रम	महाविद्यालय परिचय तथा पाठ्यक्रम विवरणिका	2 अंक
11.4 शोध जर्नल का प्रकाशन	प्रादेशिक स्तर पर प्राप्त आलेख प्रकाशित हुए हों	2 अंक
12. प्लेसमेंट एवं रोजगारोन्मुखी जागरूकता के लिये प्रयास		20 अंक
12.1 रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम / विद्यार्थियों का प्लेसमेंट	विवेकानन्द कैरियर गाइडेंस सेल द्वारा रोजगार मेला का आयोजन / रोजगारोन्मुखी प्रोत्साहन कार्यशाला.	5 अंक
12.2 अखिल भारतीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	5 अंक
12.3 राज्य स्तरीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	5 अंक
12.4 अन्य	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	5 अंक
13. गुणवत्ता हेतु नवाचारी प्रयासों की निरन्तरता		15 अंक
13.1 भाषा सुधार अभियान	विद्यार्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी के सुधार हेतु कार्यशाला / सम्पन्न अभियान.	3 अंक
13.2 एम्बेसेडर प्राध्यापक	जिला स्तरीय, संभागस्तरीय एम्बेसेडर प्राध्यापकों को आमंत्रण. इस कार्य हेतु महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रदत्त स्वेच्छया आवेदनों का अग्रेषण.	3 अंक

13.3	प्रतिभा बैंक का गठन एवं आमंत्रण	प्रतिभा बैंक के सदस्यों का आमंत्रण / स्थानीय स्तर पर विद्यमान प्रतिभाओं का प्रतिभा बैंक में सूचीकरण / विद्वानों /लेखकों के व्याख्यानों का आयोजन.	3 अंक
13.4	पुस्तकालय में नियमित स्तंभ आज का विचार आदि	आज का विचार / नियमित स्तंभ /विद्यार्थी और शिक्षक पुस्तकें नियमित निर्गत कराते हों.	3 अंक
13.5	राष्ट्रगान / म. प्र. गान	नियमित प्रार्थना / राष्ट्रगान / म. प्र. गान / विद्यार्थियों को संबोधन / नियमित झंडा-वंदन.	3 अंक
13.6	सफाई रजिस्टर का संधारण	साफ-सफाई रजिस्टर तथा उस पर कार्य	3 अंक

14. गुणवत्ता उन्नयन हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था

12 अंक

14.1	विशेष कोचिंग	दोनों सेमेस्टरों में कमजोर विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था /एस.सी./ एस.टी. / ओ.बी.सी/कन्या विद्यार्थी एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिये विशेष कार्य.	3 अंक
14.2	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग व्यवस्था.	यूजीसी (नेट, सेट), अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं (सं.लो.से.आ. लो.से.आ. या अन्य) के लिये नियमित कार्य.	3 अंक
14.3	अध्यापन / अतिरिक्त कक्षाएं / कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था.	आधार पाठ्यक्रम अथवा विषय का अध्यापन एवं अतिरिक्त कक्षाएं / कोचिंग प्रदान किया गया हो.	3 अंक
14.4	शून्य एवं सेतु कक्षाओं का आयोजन.	सत्र के प्रारम्भ में आयोजित अनिवार्य कक्षाएं	3 अंक

ग. संस्था की उत्कृष्टता और प्रसिद्धि के लिये किये गये विशेष कार्य (25 अंक)

अनुलग्नक 'अ' प्राचार्यों के लिये

15. शोध एवं अकादमिक वातावरण निर्माण के लिये कार्य

7 अंक

क्रम	राज्यस्तरीय-राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध, गुणवत्ता विनियम	विभिन्न राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अकादमिक / शोध कार्य / शिक्षकों-विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिये योजना एवं कार्य	अंक	कुल 7 अंक
15.1		अतिविशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रण /व्याख्यान	1 अंक	
15.2		अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध	1 अंक	
15.3		राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध	1 अंक	
15.4		प्रादेशिक संस्थाओं से अनुबंध	1 अंक	

15.5		विजिटिंग प्रोफेसर का आगमन कम से कम एक माह या अलग-अलग चार सप्ताह	1 अंक
15.6		जिले के महाविद्यालयों का गुणवत्ता के आदान-प्रदान के लिये संकुल निर्माण और क्रियान्वयन / शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आदान-प्रदान / कोई नवाचार यदि किया हो.	1 अंक
15.7	सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन	महाविद्यालय में विद्यार्थियों की अभिरुचि जागृत करने के लिये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन.	1 अंक

16. शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र प्रस्तुत करने, परीक्षक पैनल, पीयर टीम के सदस्य, रिसोर्स पर्सन / आमंत्रित विद्वान / विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभागिता करने पर 15 अंक

क्रम	स्तर	आधार	अंक	कुल अंक 15
16.1	अन्तरराष्ट्रीय	अधिकतम 8 शोधपत्र / आमंत्रण / सदस्य (प्रत्येक आधा अंक)	4	
16.2	राष्ट्रीय	अधिकतम 12 शोधपत्र / आमंत्रण / सदस्य (प्रत्येक आधा अंक)	6	
16.3	राज्य स्तरीय	अधिकतम 10 शोधपत्र / आमंत्रण / सदस्य (प्रत्येक आधा अंक)	5	

17. महाविद्यालय के किसी अधिकारी (एन. सी. सी. / एन. एस. एस. / क्रीडा) / कर्मचारी द्वारा प्रादेशिक-राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों में प्रतिनिधित्व / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागित करने पर. 3 अंक

17.1	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व	अधिकतम 2 बार (प्रत्येक आधा अंक)	1 अंक
17.2	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व	अधिकतम 2 बार (प्रत्येक आधा अंक)	1 अंक
17.3	प्रादेशिक / विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व.	अधिकतम 2 बार (प्रत्येक आधा अंक)	1 अंक

अथवा

ग. उच्च शिक्षा विभाग की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हेतु किये गये विशेष कार्य (25 अंक)

बिन्दु क्रमांक 15 से 17

क्रम	प्रकार	राज्य स्तरीय	अंक	कुल 25 अंक
15	ऑन लाइन प्रवेश के लिये कार्य /	संयोजक / सदस्य	12 अंक	
16.	वर्चुअल कक्षाओं के संचालन के लिये किये गये कार्य / व्याख्यान आदि.	योजना के अंतर्गत विशेष कार्यरत के रूप में अन्य संस्थाओं में कार्य	8 अंक	
17.	नैक / एसएलक्यूएसी/संबंधी कार्य	गुणवत्ता के लिये कार्य	5 अंक	

भाग-दो

घ. प्राचार्य द्वारा स्वयं की योग्यता विकास हेतु कार्य

(50 अंक)

18. प्रादेशिक-राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार / कार्यशालाओं में अध्यक्षता / रिसोर्स पर्सन / विषय विशेषज्ञ अथवा प्रादेशिक-राष्ट्रीय संस्थाओं के परीक्षक / प्राशिनक पैनल के सदस्य / प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षक / यूजीसी या नैक द्वारा गठित किसी पीयर टीम के सदस्य.

क्रम	स्तर	कार्य / व्याख्यान / परीक्षक	अंक	कुल अंक 5
18.1	अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं / परिषदें / अकादमी / प्रशिक्षण संस्थाएं.	अध्यक्षता / मान्य अकादमिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य / पैनल मेम्बर / प्रशिक्षक.	3	
18.2	राष्ट्रीय संस्थाएं / परिषदें / अकादमी / प्रशिक्षण संस्थाएं.	अध्यक्षता / यू. जी. सी. नेट / सेट / सं.लो.से.आ. / लो.से.आ. के परीक्षक / मान्य अकादमिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य.	2	

च. शोध और विकास के लिये सतत कार्य

(45 अंक)

19. विद्यार्थियों के शोध निर्देशन

क्रम	शोध कार्य	अंक	कुल अंक 10
19.1	उपाधि प्राप्त	अधिकतम तीन प्रत्येक 01 अंक	3
19.2	शोध कार्य जमा	अधिकतम दो प्रत्येक 01 अंक	2
19.3	निर्देशन / नामांकन	एस. सी. / एस. टी. विद्यार्थी / अ. पि. वर्ग.	2
19.4	निर्देशन / नामांकन	अन्य मेधावी विद्यार्थियों को निर्देशन	3

20. लघु / वृहद शोध परियोजनाएं

क्रम	प्रकार	शोध परियोजनाएं पूर्ण / प्रक्रियाधीन	अंक	कुल अंक 15
20.1	वृहद	पांच लाख से अधिक राशि केवल एक	10	
20.2	लघु	पचास हजार से पांच लाख राशि तक	5	

21. अन्तर-अनुशासनिक (Inter-disciplinary) / तुलनात्मक (Comparative) शोध कार्य, प्रकाशन

क्रम	प्रकाशित शोधपत्र / पुस्तकें	अंक	कुल अंक 10
21.1	एकल लेखक	ISBN सहित अधिकतम दो (प्रत्येक 04 अंक)	8
21.2	सह लेखक	ISBN सहित (केवल एक 2 अंक)	2

22. अनुवाद (Translation) कार्य

क्रम	प्रकाशित शोधपत्र / पुस्तकें	अंक	कुल अंक 10
22.1	एकल लेखक	ISBN सहित अधिकतम दो (प्रत्येक 04 अंक)	8
22.2	सह लेखक	ISBN सहित (केवल एक 2 अंक)	2

नोट.—वृहद और लघु दोनों परियोजनाओं के अंक जोड़ने के लिए अनुदान प्रदात्री संस्थाएं पृथक्-पथक् होनी चाहिए.

भाग—तीन

छ. सम्मान एवं पुरस्कार/ प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र (कुल 30 अंक) अनुलग्नक 'अ' प्राचार्यों के लिए

आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्यावधि में प्राप्त

23. सम्मान एवं पुरस्कार

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये)

अधिकतम 20 अंक

23.1	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर		8 अंक
23.1.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, समाज सेवा, साहित्यिक, वैज्ञानिक.	4	
23.1.2	नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	4	
23.2	राष्ट्रीय स्तर पर		6 अंक
23.2.1	अकादमिक, शैक्षणिक	2	
23.2.2	साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	
23.2.3	प्रशासनिक, समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
23.3	प्रादेशिक स्तर पर		4 अंक
23.3.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	
23.3.2	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
23.4	विश्वविद्यालय/ संभाग/ जिला स्तर पर.		2 अंक
23.4.1	साहित्यिक, वैज्ञानिक	1 अंक	
23.4.2	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1 अंक	

24. प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र—

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्यावधि में प्राप्त/ मान्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त)

अधिकतम 10 अंक

24.1	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर		4 अंक
24.1.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	
24.1.2	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
24.2	राष्ट्रीय स्तर पर		3 अंक
24.2.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक	1	
24.2.2	साहित्यिक, वैज्ञानिक	1	
24.2.3	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1	

24.3	प्रादेशिक स्तर पर			2 अंक
24.3.1		अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	1	
24.3.2		समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1	
24.4	विश्वविद्यालय/ संभाग/ जिला स्तर पर.	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण.	1 अंक	1 अंक

भाग—4

पुरस्कार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का अनुशंसा पत्र

(1) आवेदन के साथ समस्त प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं. मेरे विरुद्ध विभाग से संबंधित कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.

आवेदक प्रचार्य द्वारा स्व-प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

(2) आवेदन के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया. अतः प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिये अनुशंसित किया जाता है.

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद / मुद्रा

(अनुलग्नक ब)

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

हेतु
शिक्षकों के लिए

आवेदन-पत्र

सत्र

1. नाम—
2. पिता का नाम—
3. जन्मतिथि—

पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो

4. विषय—
5. संकाय—
6. महाविद्यालय का नाम—
7. महाविद्यालय में पदस्थापना की तिथि—
8. अनुलग्नक ब के साथ संलग्नकों की संख्या—
 (क) भाग—एक हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 (ख) भाग—दो हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 (ग) भाग—तीन हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 संलग्नकों की कुल संख्या—
9. आवेदन करने का दिनांक—
10. आवेदक का पता
11. आवेदक का दूरभाष (एस.टीडी. कोड सहित)—
12. आवेदक का मोबाइल—

आवेदनकर्ता शिक्षक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 'ब' शिक्षकों के लिए

कुल 300 अंक

(भाग-एक एवं भाग-दो के लिये मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए)

भाग-एक

क. महाविद्यालयीन विकास के लिए शिक्षक द्वारा किये गये कार्य कुल 70 अंक (बिन्दु क्रमांक 1 से आठ तक)

1. परीक्षा परिणाम

20 अंक

क्रम	महाविद्यालय में संचालित सभी संकायों की समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत*	अंक	अंक 20
1.1		प्रथम श्रेणी (25 प्रतिशत से अधिक)	10	
1.2		द्वितीय श्रेणी (35 प्रतिशत से अधिक)	7	
1.3		तृतीय श्रेणी (50 प्रतिशत से अधिक)	3	

2. अध्यापन के दौरान उपयोग में लायी गयी शैक्षणिक विधाएं/ उपकरण

10 अंक

क्रम	उपयोग में लायी गयी नवीन शैक्षणिक विधाएं/ उपकरण	विधाएं/ उपकरण	अंक	कुल अंक 10
2.1		समूह चर्चा / समूह वार्ता / क्विज	1 अंक	
2.2		प्रश्न निर्माण / प्रश्न बैंक/ मॉडल प्रश्नोत्तर	1 अंक	

2.3	क्लास टेस्ट/ आकस्मिक/ अर्ध-आकस्मिक टेस्ट	1 अंक
2.4	फ्रील्ड वर्क/ सर्वे/ डाटा संग्रह	1 अंक
2.5	विद्यार्थी कक्षा अध्यापन, मूल्यांकन/ प्रस्तुतीकरण	1 अंक
2.6	फ्लो चार्ट / पुस्तक सूची / सहायक पाठ्य सामग्री का विकास	1 अंक
2.7	मॉडल मेकिंग/ रोल प्ले/ अभिनय/ नाटकीय प्रस्तुतीकरण/ स्किट	1 अंक
2.8	पुस्तकालयीन कार्य/ कैंटलागिंग/ प्रयोगशाला संबंधी कार्य	1 अंक
2.9	शीघ्र परियोजना कार्य/ लघु निबंध/ किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू	1 अंक
2.10	फिल्म/ वृत्तचित्र/ ओएचपी/ सीडी, डीवीडी निर्माण / वर्चुअल कक्षाएं	1 अंक

3. सेमेस्टर प्रणाली

5 अंक

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	अंक 5
3.1	परीक्षा कार्य में तत्परता	अधीक्षक/पाली अधीक्षक के रूप में कार्य/ परीक्षा आयोजित करने के लिये विशेष सहयोग/ आन्तरिक मूल्यांकन प्रभारी.	3 अंक	
3.2	सेमेस्टर प्रणाली के सीसीई प्रभारी.	सेमेस्टर प्रणाली के लिए प्रभारी के रूप में कार्य	2 अंक	

4. दायित्वों की निर्वहन

3 अंक

4.1	अनिवार्य स्टाक वेरिफिकेशन/ सत्यापन कार्य.	संयोजक/ सदस्य—ग्रंथालय/ क्रीडा/ भण्डार/ प्रयोगशाला/ महाविद्यालय की अधोसंरचना आदि का सत्यापन कार्य.	1 अंक
4.2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. की गतिविधियां.	कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य/ रासेयो विशेष शिविर आयोजित/ विशेष अभियान/ एन.सी.सी. से संबंधित विशेष कार्य.	1 अंक
4.3	यूजीसी की योजनाएं	संयोजक/ सदस्य—भवन/ कक्ष/ निर्माण कार्य / स्वशासी बोर्ड की मीटिंग/ अनुदान प्राप्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव जिसका क्रियान्वयन हुआ संबंधी समिति के संयोजक.	1 अंक

5. जी.ई.आर. बढ़ाने के लिए विशेष योगदान

2 अंक

5.1	कालेज चलें अभियान/रिटेंशन रेट बढ़ाने के लिये कार्य/ प्रचार-प्रसार विज्ञान.	संयोजक/ सदस्य—जी.ई.आर. में वृद्धि के लिए विशेष कार्य/ फ्रीडर शालेय विद्यार्थियों को प्रेरित किया हो/ प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय नियमित आने के लिए कार्य / रिटेंशन के लिये काउंसिलिंग की हो/ विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रचार करने में योगदान.	1 अंक
5.2	अतिरिक्त अध्यापन	खाली कक्षाओं को उत्पादक कक्षाओं में बदलने के लिए प्रयत्न (एक सप्ताह से अधिक)	1 अंक

* सत्र भर में संचालित सभी पाठ्यक्रमों की समस्त कक्षाओं में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर गणना की जाए.

† सभी विधाओं के लिए संधारित रिकार्ड के आधार पर प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाए.

6. विद्यार्थी कल्याण		14 अंक
6.1 छात्रसंघ	संयोजक/ सदस्य—स्नेह सम्मेलन/ पुरस्कार वितरण/ छात्रसंघ निर्वाचन.	5 अंक
6.2 सुरक्षा-संरक्षा हेतु परामर्श	संयोजक/ सदस्य—विद्यार्थी परामर्श / नैतिक बोध हेतु परामर्श प्रकोष्ठ/ अवसादग्रस्त विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु व्याख्यान.	2 अंक
6.3 एंटी रैगिंग अभियान	संयोजक/ सदस्य—जीरो टालरेंस पॉलिसी पर कार्य/ प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य/ अनुशासक.	2 अंक
6.4 शिक्षक अभिभावक योजना	संयोजक/ सदस्य—शिक्षक अभिभावक योजना/ अभिभावकों के साथ बैठक/ विद्यार्थियों में अधिकार एवं कर्तव्य भावना/ उत्तरदायित्व का बोधन/ विद्यार्थियों को प्रेरणा.	3 अंक
6.5 विद्यार्थियों का मोबाइल नेटवर्क	अध्ययन की सुविधा एवं सहायता एवं पारस्परिक आदान-प्रदान के लिये विद्यार्थियों का नेटवर्क बनाने का कार्य किया हो/ कमजोर विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थियों से लाभान्वित करने की योजना जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हुए.	1 अंक
6.6 विद्यार्थी कल्याण के लिये कर्तव्य और अधिकारों पर कार्य/ स्टूडेंट चार्टर का निर्माण.	विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य/ विशेष प्रयत्न/ अनुशासन समिति के सदस्य/ कर्तव्य और अधिकार पर उन्मुखीकरण.	1 अंक
7. सांस्कृतिक—साहित्यिक गतिविधियों के संयोजक/ सदस्य		12 अंक
7.1 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक गतिविधियां	संयोजक/ सदस्य—सत्र भर आयोजित होने वाले कार्यक्रम/ वार्षिक कार्यक्रम.	3 अंक
7.2 युवा उत्सव का आयोजन	संयोजक/ सदस्य—भाषण, निबंध, वाद-विवाद, अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिताएं (यदि संस्था ने अपने से इतर संस्था के साथ प्रतियोगिता/ सहभागिता की).	3 अंक
7.3 बुक रीडिंग क्लब	संयोजक/ सदस्य—बुक रीडिंग क्लब का गठन एवं कार्य (यदि संस्था के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भागीदारी की).	3 अंक
7.4 क्रियेटिव राइटिंग क्लब	संयोजक/ सदस्य—क्रियेटिव राइटिंग क्लब का गठन कार्य (यदि संस्था के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भागीदारी की).	3 अंक
8. पर्यावरण जागरूकता एवं परिसर सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास		4 अंक
8.1 पर्यावरण संबंधी कार्य	संयोजक/ सदस्य—हरित हरिसर विकास के लिये कार्य/ स्वयं के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये योजना प्रस्तुत की हो और सप्रमाण क्रियान्वयन किया हो.	3 अंक
8.2 पर्यावरण सुरक्षा के लिये पहल	कोई ऐसा नवाचार/ पहल जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को बल, विद्यार्थियों को प्रेरणा.	1 अंक

(ख) गुणवत्ता संधारित करने के लिये विशेष प्रयास कुल 90 अंक (बिन्दु क्रमांक 9 से 16 तक)

9. सतत गुणवत्ता के लिए नैक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के संदर्भ में प्रयास			12 अंक
9.1	गुणवत्ता प्रकोष्ठ	संयोजक—एसएलक्यूएसी में कार्य/ नवाचार के लिये विशेष कार्य/ आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ में कार्य.	3 अंक
9.2		सदस्य—एसएलक्यूएसी में कार्य/ नवाचार के लिये विशेष कार्य/ आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ में कार्य.	2 अंक
9.3	नैक द्वारा मूल्यांकन के लिये समन्वयक का कार्य	समन्वयक/ नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड ए, बी, सी/ नैक पीयर टीम का दौरा.	5 अंक
9.4	नैक की समन्वय समिति में कार्य	सदस्य—एल.ओ.आई./ एस.एस.आर. का प्रेषण	2 अंक
10. संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर किये गये प्रकाशन कार्य			12 अंक
10.1	वार्षिक पत्रिका/ न्यूज लेटर	संयोजक/ संपादक—महाविद्यालय का न्यूजलेटर/ वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन.	2 अंक
10.2		सदस्य—महाविद्यालय का न्यूजलेटर/ वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन के लिये सहयोग.	2 अंक
10.3	पुस्तक/संदर्भ ग्रंथ/पाठ्य सामग्री/ सहायक सामग्री प्रकाशन/ संपादन.	संयोजक—विद्यार्थियों के व्यापक हित में संयोजन जिसे संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया हो.	2 अंक
10.4	पाठ्यक्रम	संयोजक/सदस्य—महाविद्यालय परिचय तथा पाठ्यक्रम विवरणिका की तैयारी.	2 अंक
10.5	शोध जर्नल का प्रकाशन	संयोजक/सदस्य—प्रदेशिक स्तर पर प्राप्त आलेख प्रकाशित हुए हों.	2 अंक
10.6		सदस्य—प्रदेशिक स्तर पर प्राप्त आलेख प्रकाशित हुए हों.	2 अंक
11. प्लेसमेंट एवं रोजगारोन्मुखी जागरूकता के लिये प्रयास			12 अंक
11.1	रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम/ विद्यार्थियों का प्लेसमेंट.	संयोजक/ सदस्य—विवेकानन्द कैरियर गाइडेंस सेल द्वारा रोजगार मेला का आयोजन/ रोजगारोन्मुखी प्रोत्साहन कार्यशाला.	5 अंक
11.2	अखिल भारतीय सेवा	संयोजक/ सदस्य—यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	3 अंक
11.3	राज्य स्तरीय सेवा	संयोजक/ सदस्य—यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	2 अंक
11.4	अन्य	संयोजक/ सदस्य—यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित हुए.	2 अंक

12. गुणवत्ता हेतु नवाचारी प्रयासों को निरन्तर जारी रखने में योगदान				20 अंक
12.1	भाषा सुधार अभियान	संयोजक—विद्यार्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी के सुधार हेतु कार्यशाला/सम्पन्न अभियान.	3 अंक	
12.2		अध्यापन के दौरान अपने विषय से संबंधित हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष निर्माण/ पारिभाषिक शब्द संचय/वर्तनीगत अशुद्धियों के संशोधन के लिये कार्य.	3 अंक	
12.3		विद्यार्थियों द्वारा लिखित आवेदनों का संशोधन एवं सुधार/ भाषा सुधार अभियान के सदस्य के रूप में कार्य/महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर रोजाना 5 (अंग्रेजी-हिन्दी) शब्द लिखे हों.	1 अंक	
13. एम्बेसेडर प्राध्यापक/प्रतिभा बैंक				
क्रम	एम्बेसेडर प्राध्यापक	एक सेमेस्टर में अधिकतम दो बार	अंक	10 अंक
13.1		संभाग स्तरीय एम्बेसेडर प्राध्यापक के रूप में कार्य	5 अंक	
13.2		जिला स्तरीय एम्बेसेडर प्राध्यापक के रूप में कार्य	3 अंक	
13.3	प्रतिभा बैंक का गठन एवं आमंत्रण.	संयोजक/ सदस्य—प्रतिभा बैंक/प्रतिभा बैंक के सदस्य के रूप में अन्य संस्था में आमंत्रित.	2 अंक	
14. विशेष नवाचारी कार्य				3 अंक
14.1	पुस्तकालय में नियमित स्तंभ लेखन (कम से कम एक माह तक).	संयोजक/ सदस्य—आज का विचार/नियमित स्तंभ "आज का विचार" संचालित करने के लिये विचार दिये हों/सूक्तियों का संग्रह किया हो.	2 अंक	
14.2	राष्ट्रगान/ म.प्र. गान	संयोजक/ सदस्य—नियमित प्रार्थना/राष्ट्रगान/म.प्र. गान/ विद्यार्थियों को संबोधन/नियमित झंडा-वंदन करने में सहयोग.	1 अंक	
15. गुणवत्ता उन्नयन हेतु विशेष कोचिंग दी हो				15 अंक
15.1	विशेष कोचिंग	संयोजक/ कोच—दोनों सेमेस्ट्रो में कमजोर विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ कन्या विद्यार्थी एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिये विशेष कार्य.	3 अंक	
15.2	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग व्यवस्था.	संयोजक/ कोच—यूजीसी (नेट, सेट), अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं (सं.लो.से.आ., लो.से.आ. या अन्य) के लिये नियमित कार्य.	3 अंक	
15.3	अध्यापन/अतिरिक्त कक्षाएं/ कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था.	संयोजक/ सदस्य—आधार पाठ्यक्रम अथवा अतिरिक्त कक्षाएं/कोचिंग प्रदान किया हो.	3 अंक	

16. शून्य/ सेतु कक्षाएं/ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

6 अंक

क्रम	शून्य/ सेतु कक्षाएं/सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	कार्य	6 अंक
16.1	शून्य एवं सेतु कक्षाओं का आयोजन.	संयोजक/ सदस्य—सत्र के प्रारंभ में आयोजित अनिवार्य कक्षाएं/ कक्षाएं ली हों.	3 अंक
16.2	सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार).	संयोजक : संयोजन प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला.	2 अंक
16.3	सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार).	सदस्य : प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला.	1 अंक

ग. संस्था की उत्कृष्टता और प्रसिद्धि के लिये किये गये विशेष कार्य (20 अंक)

17. शोध एवं अकादमिक वातावरण निर्माण के लिये कार्य

क्रम	राज्यस्तरीय-राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध, गुणवत्ता विनिमय	विभिन्न राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अकादमिक/ शोध कार्य/ शिक्षकों-विद्यार्थियों को आदान-प्रदान के लिये योजना एवं कार्य	अंक	कुल 20 अंक
17.1	संस्था में गठित स्थानीय प्रतिभा बैंक से भिन्न अतिविशिष्ट विशेषज्ञों को आमंत्रण.	संयोजक/ सदस्य—अतिविशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रण/ व्याख्यान.	7 अंक	
17.2		अनुबंध योजना के अन्तर्गत विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अन्य संस्थाओं में कार्य.	8 अंक	
17.3		अनुबंध के तहत जिले के महाविद्यालयों में गुणवत्ता के आदान-प्रदान के लिये चयनित.	5 अंक	

अथवा

ग. उच्च शिक्षा विभाग की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हेतु किये गये विशेष कार्य (20 अंक)

17.

क्रम	प्रकार	राज्य स्तरीय	अंक	कुल 20 अंक
17.1	ऑन लाईन प्रवेश के लिये कार्य/ ई-न्यूज लेटर.	संयोजक/ सदस्य	8 अंक	
17.2	वर्चुअल कक्षाओं के संचालन के लिये किये गये कार्य/ प्रशिक्षण/ व्याख्यान आदि.	योजना के अंतर्गत विशेष कार्यस्थ के रूप में अन्य संस्थाओं में कार्य.	7 अंक	
17.3	नैक/एसएलक्व्यूएसी/संबंधी कार्य/ गुणवत्ता संबंधी योजनाएं.	गुणवत्ता के लिये कार्य	5 अंक	

भाग-दो *

घ. शिक्षक द्वारा स्वयं की योग्यता विकास हेतु कार्य (45 अंक)

प्रकाशन/ प्रस्तुतीकरण/ प्रदर्शन/ कार्य (बिन्दु 18-20 तक, कुल 15 अंक)

18. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध-पत्र प्रकाशन/ संपादन

क्रम	अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका/जर्नल/ ई-जर्नल का नाम	प्रकाशन/ संपादन	अंक	कुल अंक 5
18.1	स्वदेश से प्रकाशित	ISSN सहित (केवल एक शोध-पत्र 02 अंक)	2	
18.2	विदेश से प्रकाशित	ISSN सहित (केवल एक शोध-पत्र 03 अंक)	3	

19. राष्ट्रीय स्तर पर शोध-पत्र प्रकाशन/ संपादन

क्रम	राष्ट्रीय पत्रिका/जर्नल/ई-जर्नल	प्रकाशन/ संपादन	अंक	कुल अंक 5
19.1		ISSN सहित अधिकतम पांच शोध-पत्र/ संपादन पांच अंक (प्रत्येक 01 अंक).	5	

20. प्रकाशित टेक्सट बुक/ सृजनात्मक पुस्तकों का प्रकाशन/संपादन (संदर्भ ग्रंथ, अभिनन्दन ग्रंथ, अकादमिक अथवा सृजनात्मक महत्व का कार्य)

क्रम	प्रकाशित पुस्तकें/टेक्सट बुक का नाम	अंक	कुल अंक 5
20.1	एकल लेखक/प्रधान संपादक	ISBN सहित अधिकतम दो (प्रत्येक 03 अंक)	3
20.2	सह-लेखक/ सह-संपादक	ISBN सहित (केवल एक 02 अंक)	2

संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं में प्रतिभागिता (बिन्दु 21 से 24 तक, कुल 30 अंक)

21. सेमिनार/ कार्यशालाओं में प्रतिभागिता

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	कुल अंक 10
21.1	अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश में आयोजित).	शोध-पत्र वाचन/ व्याख्यान (केवल एक 03 अंक)	3	
21.2	अन्तर्राष्ट्रीय (स्वदेश में आयोजित).	अधिकतम दो शोध-पत्र वाचन/ व्याख्यान (प्रत्येक 02 अंक).	4	
21.3	राष्ट्रीय	अधिकतम तीन शोध-पत्र वाचन/व्याख्यान (प्रत्येक 01 अंक).	3	

* शिक्षक द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रविष्टियों को रिकार्ड के आधार पर प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाए.

अथवा

प्रस्तुतीकरण/ प्रदर्शन (केवल कलाओं के लिये)

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	कुल अंक 10
21.1	अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश में आयोजित).	शोध-पत्र वाचन/ व्याख्यान (केवल एक 03 अंक)	3	
21.2	अन्तर्राष्ट्रीय (स्वदेश में आयोजित).	अधिकतम दो शोध-पत्र वाचन/व्याख्यान (प्रत्येक 02 अंक).	4	
21.3	राष्ट्रीय	अधिकतम तीन शोध-पत्र वाचन/ व्याख्यान (प्रत्येक 01 अंक).	3	

22. सेमीनार/कार्यशालाओं में अध्यक्षता

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	कुल अंक 10
22.1	अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश में आयोजित).	केवल एक बार 03 अंक	3	
22.2	अन्तर्राष्ट्रीय (स्वदेश में आयोजित).	अधिकतम दो बार (प्रत्येक 02 अंक)	4	
22.3	राष्ट्रीय	अधिकतम तीन बार 01 अंक	3	

23. रिसोर्स पर्सन/ विषय विशेषज्ञ

क्रम	स्तर	कार्य	अंक	कुल अंक 5
23.1	अन्तर्राष्ट्रीय	केवल एक व्याख्यान/ प्रस्तुतीकरण 03 अंक	3	
23.2	राष्ट्रीय	अधिकतम दो व्याख्यान/ प्रस्तुतीकरण प्रत्येक 01 अंक	2	

मूल्यांकन/ परीक्षण/ निर्णय

24. परीक्षक/ प्राशिनक : विश्वविद्यालयीन शोध कार्य/ प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं के गोपनीय कार्य आदि/साक्षात्कार/ पुरस्कार/ निर्णायक मंडल, अध्ययन मंडल के सदस्य.

क्रम	स्तर	संस्थाएं	अंक	कुल अंक 5
24.1	राष्ट्रीय	यू.जी.सी. नेट, सं.लो.से.आ., साहित्य-कला-विज्ञान परिषदें आदि.	3	
24.2	राज्य स्तरीय/ सभी विश्वविद्यालय/ प्रशिक्षण संस्थाएं.	सेट/व्यापम/ लो.से.आ./ प्रशासनिक अकादमी, सभी विश्वविद्यालय, साहित्य-कला-विज्ञान परिषदें.	2	

च. शोध और विकास के लिये सतत कार्य (45 अंक)

25. विद्यार्थियों को शोध निर्देशन

क्रम	शोध कार्य	अंक	कुल अंक 10
25.1	उपाधि प्राप्त	अधिकतम तीन प्रत्येक 01 अंक	3
25.2	शोध कार्य जमा	अधिकतम दो प्रत्येक 01 अंक	2
25.3	निर्देशन/ नामांकन	एस.सी./ एस.टी. विद्यार्थी/ अ.पि. वर्ग	2
25.4	निर्देशन/ नामांकन	अन्य मेघावी विद्यार्थियों को निर्देशन	3

26. लघु/ वृहद् शोध परियोजनाएं*

क्रम	प्रकार	शोध परियोजनाएं/ प्रक्रियाधीन	अंक	कुल अंक 15
26.1	वृहद्	पांच लाख से अधिक राशि केवल एक	10	
26.2	लघु	पचास हजार से पांच लाख राशि तक	5	

27. अन्तर-अनुशासनिक (Inter-disciplinary)/ तुलनात्मक (Comparative) शोध कार्य, प्रकाशन

क्रम	प्रकाशित शोधपत्र/ पुस्तकें	अंक	कुल अंक 10
27.1	एकल लेखक	ISBN सहित अधिकतम दो (प्रत्येक 04 अंक)	8
27.2	सह-लेखक	ISBN सहित (केवल एक 02 अंक)	2

28. अनुवाद (Translation) कार्य

क्रम	प्रकाशित शोधपत्र/ पुस्तकें	अंक	कुल अंक 10
28.1	एकल लेखक	ISBN सहित अधिकतम दो (प्रत्येक 04 अंक)	8
28.2	सह-लेखक	ISBN सहित (केवल एक 02 अंक)	2

* नोट.—वृहद् और लघु दोनों परियोजनाओं के अंक जोड़ने के लिए अनुदान प्रदात्री संस्थाएं पृथक-पृथक होनी चाहिए.

भाग-तीन

छ. सम्मान एवं पुरस्कार/ प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र (कुल 30 अंक)

आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्यावधि में प्राप्त

29. सम्मान एवं पुरस्कार

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये)

अधिकतम 20 अंक

29.1	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर		8 अंक
29.1.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, समाज सेवा, साहित्यिक, वैज्ञानिक.	4	
29.1.2	नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	4	
29.2	राष्ट्रीय स्तर पर		6 अंक
29.2.1	अकादमिक, शैक्षणिक	2	
29.2.2	साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	
29.2.3	प्रशासनिक, समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
29.3	प्रादेशिक स्तर पर		4 अंक
29.3.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	
29.3.2	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
29.4	विश्वविद्यालय/ संभाग/ जिला स्तर पर.		2 अंक
29.4.1	साहित्यिक, वैज्ञानिक	1 अंक	
29.4.2	समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1 अंक	

30. प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र—

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्यावधि में प्राप्त/ मान्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त)

अधिकतम 10 अंक

30.1	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर		4 अंक
30.1.1	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	2	

30.1.2		समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	2	
30.2	राष्ट्रीय स्तर पर			3 अंक
30.2.1		अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक	1	
30.2.2		साहित्यिक, वैज्ञानिक	1	
30.2.3		समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1	
30.3	प्रादेशिक स्तर पर			2 अंक
30.3.1		अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक	1	
30.3.2		समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1	
30.4	विश्वविद्यालय/ संभाग/ जिला स्तर पर.	अकादमिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, समाज सेवा, नैतिक बोध, अध्यात्म, पर्यावरण	1 अंक	1 अंक

भाग—4

पुरस्कार हेतु प्राचार्य का अनुशंसा-पत्र

(1) आवेदन के साथ समस्त प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं. मेरे विरुद्ध विभाग से संबंधित कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.

आवेदक शिक्षक द्वारा स्व-प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

(2) आवेदन के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया. अतः शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिये अनुशंसित किया जाता है.

प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद / मुद्रा

(अनुलग्नक स)
स्नातकोत्तर हेतु

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

हेतु
स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए

आवेदन-पत्र

सत्र

पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो

1. नाम—
2. पिता का नाम—
3. जन्मतिथि—
4. विषय—
5. संकाय—
6. महाविद्यालय का नाम—
7. महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि—
8. विश्वविद्यालय का नाम—
9. अनुलग्नक स (स्नातकोत्तर हेतु) के साथ संलग्नकों की संख्या—

(क) भाग—एक हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—

(ख) भाग—दो हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—

(ग) भाग—तीन हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—

संलग्नकों की कुल संख्या—

10. आवेदन करने का दिनांक—
11. आवेदक का पता— 12 आवेदक
. का दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)—
13. आवेदक का मोबाइल—

आवेदनकर्ता विद्यार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक “स” स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये

कुल 300 अंक

(भाग—एक एवं भाग—दो के लिये मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए)

भाग—एक

क. परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन

1. परीक्षा परिणाम 170 अंक
सेमेस्टर परीक्षा (मुख्य) सीसीई सहित

क्रम	महाविद्यालय में अध्ययनरत कक्षाओं के परीक्षा परिणाम	प्रथम श्रेणी में अर्जित अंक	अंक
1.1	कला संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (80 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	170
1.2	विज्ञान संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170
1.3	वाणिज्य संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170
1.4	विधि संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	170
1.5	गृहविज्ञान संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170

ख. व्यक्तित्व विकास और उपलब्धियां (75 अंक) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये

2. अध्ययन के दौरान शिक्षक द्वारा उपयोग में लायी गयी सीसीई विधाओं में भागीदारी

क्रम	उपयोग में लायी गयी किन्हीं 6 विधाओं में भागीदारी (शिक्षकों द्वारा प्रमाणित)	विधाएं	अंक	अधिकतम अंक 30
2.1		समूह चर्चा/समूह वार्ता/क्विज	5 अंक	
2.2		प्रश्न निर्माण/प्रश्न बैंक/मॉडल प्रश्नोत्तर	5 अंक	
2.3		क्लास टेस्ट/आकस्मिक/अर्ध-आकस्मिक टेस्ट	5 अंक	
2.4		फील्ड वर्क/ सर्वे/डाटा संग्रह	5 अंक	
2.5		विद्यार्थी कक्षा अध्यापन, मूल्यांकन/ प्रस्तुतीकरण/ सब्जेक्ट कैफे	5 अंक	
2.6		फ्लो चार्ट/पुस्तक सूची/सहायक पाठ्य सामग्री का विकास	5 अंक	
2.7		मॉडल मेकिंग/रोल प्ले/ अभिनय/नाटकीय प्रस्तुतीकरण/ स्किट	5 अंक	

2.8	पुस्तकालयीन कार्य/कैटलागिंग/प्रयोगशाला संबंधी कार्य	5 अंक
2.9	शीघ्र परियोजना कार्य/ लघु निबंध/किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू	5 अंक
2.10	फिल्म/वृत्तचित्र/ओएचपी/सीडी, डीवीडी निर्माण/वर्चुअल कक्षाएं	5 अंक

3. परियोजनाएं

अधिकतम 20 अंक

सामाजिक परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
रोजगारोन्मुखी परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
मनोवैज्ञानिक परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
वैज्ञानिक परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
आर्थिक-वाणिज्यिक परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
पर्यावरणीय परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक
प्रौद्योगिकीय परियोजनाएं	लघु शोध प्रबंध	20 अंक

4. संस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये विशेष योगदान

5 अंक

4.1	कक्षा अध्यापन	शिक्षक द्वारा विषय ज्ञान के आधार पर आवंटित कार्य	3 अंक
4.2		दौरों पर जाने के कारण एम्बेसेडर प्राध्यापक द्वारा अपने स्थान पर अध्यापन कार्य.	2 अंक

5. सामुदायिक जागरूकता एवं अनुशासन

अधिकतम 5 अंक

5.1	छात्रसंघ	सदस्य/कार्यक्रमों का संचालन-स्नेह सम्मेलन/पुरस्कार वितरण/ बैठकों में भागीदारी.	1 अंक
5.2	सुरक्षा-संरक्षा हेतु परामर्श	सदस्य—विद्यार्थी परामर्श/नैतिक बोध हेतु परामर्श प्रकोष्ठ में कार्य/ अवसादग्रस्त विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में लाने का कार्य/ मार्गदर्शन हेतु कार्य /नैतत्व.	1 अंक
5.3	एंटी रैगिंग अभियान	सदस्य—जीरो टालरेंस पॉलिसी पर कार्य/प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य/ कक्षा अनुशासक.	2 अंक
5.4	शिक्षक अभिभावक योजना	शिक्षक अभिभावक योजना के अन्तर्गत अपने अभिभावक के साथ उपस्थिति/उन्हें महाविद्यालयीन गतिविधियों की समय पर जानकारी देना (शिक्षक अभिभावक द्वारा प्रमाणित).	1 अंक
5.5	विद्यार्थियों का मोबाइल नेटवर्क	अध्ययन की सुविधा एवं सहायता एवं पारस्परिक आदान-प्रदान के लिये विद्यार्थियों का नेटवर्क बनाने का कार्य किया हो/कमजोर विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थियों से लाभांशित करने की योजना के अन्तर्गत, कार्य (संयोजक/प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रमाणित).	1 अंक
5.6	विद्यार्थी कल्याण के लिए कर्त्तव्य और अधिकारों पर कार्य.	विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये कार्य/विशेष प्रयत्न/ अनुशासन समिति के सदस्य/कर्त्तव्य और अधिकारों का ज्ञान (छात्र संघ प्रभारी द्वारा प्रमाणित.)	1 अंक

6.	सांस्कृतिक-साहित्यिक गतिविधियों में प्रतिभागिता		अधिकतम 10 अंक
6.1	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक गतिविधियां	सदस्य/संचालन-सत्र भर आयोजित होने वाले कार्यक्रम/वार्षिक कार्यक्रमों में पुरस्कृत.	2 अंक
6.2	युवा उत्सव का आयोजन	सदस्य/संचालन—भाषण, निबंध, वाद-विवाद, अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिताएं (यदि विद्यार्थी ने अपने से इतर संस्था के साथ प्रतियोगिता/सहभागिता की).	2 अंक
6.3	बुक रीडिंग क्लब	सदस्य/संचालन—बुक रीडिंग क्लब (प्रत्येक सेमेस्टर में दस नवीन पुस्तकों का अध्ययन किया हो और विमर्श/चर्चा/बहस में प्रतियोगिता की हो).	4 अंक
6.4	क्रियेटिव राइटिंग क्लब	सदस्य/संचालन—क्रियेटिव राइटिंग क्लब (प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पुरस्कृत).	4 अंक
7.	पर्यावरणीय जागरूकता एवं परिसर सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास		5 अंक
7.1	पर्यावरण संबंधी कार्य	हरित परिसर विकास के लिये कार्य/स्वयं के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये योजना प्रस्तुत की हो और सप्रमाण क्रियान्वयन किया हो.	5 अंक
7.2	पर्यावरण सुरक्षा के लिये पहल.	कोई ऐसा नवाचार/पहल जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को बल, अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा/पौधों को गोद लिया हो/संरक्षित किया हो.	5 अंक

भाग-दो

ग. गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिये विशेष प्रयास (45 अंक) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये

8.	संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर किये गये प्रकाशन कार्य में भागीदारी		अधिकतम 5 अंक
8.1	वार्षिक पत्रिका/न्यूज लेटर	संपादन में भागीदारी की हो/प्रूफरीडिंग किया हो—महाविद्यालय का न्यूजलेटर/वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग.	2 अंक
8.2	पुस्तक/संदर्भ ग्रंथ/प्रकाशन/संपादन.	विद्यार्थियों के व्यापक हित में संस्था द्वारा प्रकाशित पाठ सामग्री तैयार करने में योगदान.	5 अंक
8.3	पाठ्य सामग्री/सहायक सामग्री	प्रूफरीडिंग/अनुक्रमणिका/पुस्तकसूची तैयार करना आदि	5 अंक
9.	प्लेसमेंट एवं रोजगारोन्मुखी जागरूकता के लिये प्रयास		अधिकतम 5 अंक
9.1	रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम/विद्यार्थियों का प्लेसमेंट	विद्यार्थी सदस्य—विवेकानन्द कैरियर गाईडेंस सेल द्वारा रोजगार मेला के आयोजन में कार्य/अंतिम सेमेस्टर में रोजगारोन्मुखी परियोजना पर कार्य.	3 अंक
9.2	अखिल भारतीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	3 अंक
9.3	राज्य स्तरीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	2 अंक
9.4	अन्य	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	2 अंक

10. गुणवत्ता हेतु नवाचारी प्रयासों को निरन्तर जारी रखने में योगदान			अधिकतम 5 अंक
भाषा सुधार अभियान	कार्य		अंक
10.1	अध्यापन के दौरान अपने विषय से संबंधित हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश निर्माण/पारिभाषिक शब्द संचय/वर्तनीगत अशुद्धियों के संशोधन के लिये कार्य.		5 अंक
10.2	विद्यार्थियों द्वारा लिखित आवेदनों का संशोधन एवं सुधार/भाषा सुधार अभियान के सदस्य के रूप में कार्य/महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर रोजाना 5 (अंग्रेजी-हिन्दी) शब्द लिखे हों (कम से कम एक माह)		5 अंक
11. विशेष नवाचारी कार्य			अधिकतम 10 अंक
11.1	प्रतिभा बैंक के गठन में सहयोग.	प्रतिभा बैंक/प्रतिभा बैंक के गठन में सहयोग, स्थानीय प्रतिभाओं को जोड़ने की पहल.	5 अंक
11.2	पुस्तकालय में नियमित स्तंभ लेखन (कम से कम एक माह तक).	संयोजक/सदस्य—आज का विचार/नियमित स्तंभ “आज का विचार” संचालित कराने के लिए विचार दिये हों.	5 अंक
11.3	सूक्तियां	सूक्तियों का संग्रह किया हो	5 अंक
11.4	राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत/म.प्र. गान	राष्ट्रगान/म. प्र. गान/विद्यार्थियों को संबोधन/अन्य विद्यार्थियों को कंठस्थ कराने के लिये कार्य.	5 अंक
11.5	प्रार्थना /झंडावंदन	विद्यार्थी संयोजक/सदस्य—नियमित प्रार्थना / नियमित झंडा-वंदन करने में सहयोग.	5 अंक
12. शून्य/सेतु कक्षाएं/सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता			अधिकतम अंक 10 अंक
क्रम	शून्य/सेतु कक्षाएं (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार)	कार्य/स्थान	अंक
12.1	शून्य/सेतु कक्षाएं	प्रथम स्थान प्राप्त	5 अंक
12.2	शून्य/सेतु कक्षाएं	द्वितीय स्थान प्राप्त	4 अंक
12.3	शून्य/सेतु कक्षाएं	तृतीय स्थान प्राप्त	3 अंक
12.4	सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार).	प्रथम/स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	5 अंक
12.5		द्वितीय/स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	4 अंक
12.6		तृतीय/स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	3 अंक

13. अकादमिक वातावरण निर्माण के लिये कार्य

क्रम	राज्यस्तरीय-राष्ट्रीय- अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध, गुणवत्ता विनिमय.	विभिन्न राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अकादमिक/शोध कार्य/ विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिये योजना.	अंक	कुल 10 अंक
		अनुबंध के तहत जिले/संभाग के अन्य महाविद्यालयों में गुणवत्ता के आदान-प्रदान के लिये चयनित विद्यार्थी.	10 अंक	

भाग-तीन

छः/ प्रशंसा एवं प्रमाण पत्र (कुल 10 अंक) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये

आवेदन करने तक सम्पूर्ण शिक्षाविधि में प्राप्त

14. सम्मान एवं पुरस्कार प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्याविधि में प्राप्त/मान्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त)

अधिकतम 10 अंक

14.1 राष्ट्रीय स्तर/
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर

अधिकतम 4 अंक

14.1.1	अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
14.1.2	साहित्यिक	1 अंक
14.1.3	वैज्ञानिक	1 अंक
14.1.4	समाज सेवा	1 अंक
14.1.5	नैतिक बोध	1 अंक
14.1.6	अध्यात्म	1 अंक
14.1.7	पर्यावरण	1 अंक

14.2 प्रादेशिक स्तर पर

अधिकतम 4 अंक

14.2.1	अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
14.2.2	साहित्यिक	1 अंक
14.2.3	वैज्ञानिक	1 अंक
14.1.4	समाज सेवा	1 अंक
14.2.5	नैतिक बोध	1 अंक
14.2.6	अध्यात्म	1 अंक
14.2.7	पर्यावरण	1 अंक

14.3	विश्वविद्यालय/संभाग		अधिकतम 4 अंक
14.3.1		अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
16.3.2		साहित्यिक	1 अंक
16.3.3		वैज्ञानिक	1 अंक
14.3.4		समाज सेवा	1 अंक
14.3.5		नैतिक बोध	1 अंक
14.3.6		अध्यात्म	1 अंक
14.3.7		पर्यावरण	1 अंक
14.4	जिला स्तर पर		अधिकतम 4 अंक
14.4.1		अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
14.4.2		साहित्यिक	1 अंक
14.4.3		वैज्ञानिक	1 अंक
14.4.4		समाज सेवा	1 अंक
14.4.5		नैतिक बोध	1 अंक
14.4.6		अध्यात्म	1 अंक
14.4.7		पर्यावरण	1 अंक

भाग-4

पुरस्कार हेतु प्राचार्य का अनुशंसा-पत्र

(1) आवेदन के साथ समस्त प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं. मेरे विरुद्ध महाविद्यालय से संबंधित कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.

आवेदक विद्यार्थी द्वारा स्व-प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

(2) आवेदन के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया. अतः विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिये अनुशंसित किया जाता है.

प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद/मुद्रा

(अनुलग्नक स)
स्नातक हेतु

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

हेतु

स्नातक विद्यार्थियों के लिए

आवेदन-पत्र

सत्र

पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो

1. नाम—
2. पिता का नाम—
3. जन्मतिथि—
4. श्रेणी—सामान्य/अनु.जाति/अनु. जनजाति/महिला
5. विषय—
6. संकाय—
7. महाविद्यालय का नाम—
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि—
9. विश्वविद्यालय का नाम—
10. अनुलग्नक स (स्नातक हेतु) के साथ संलग्नकों की संख्या—
 - (क) भाग—एक हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 - (ख) भाग—दो हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—
 - (ग) भाग—तीन हेतु कंडिकावार संलग्नकों की संख्या—

संलग्नकों की कुल संख्या—

11. आवेदन करने का दिनांक—
12. आवेदक का पता—
13. आवेदक का दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)—
14. आवेदक का मोबाइल—

आवेदनकर्ता विद्यार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स" स्नातक विधार्थियों के लिये

श्रेणी—सामान्य/अनु.जाति/अनु. जनजाति/महिला

कुल 300 अंक

(भाग—एक एवं भाग—दो के लिये मूल्यांकन सत्र 01 जुलाई से 30 जून तक संपादित कार्यों के लिए)

भाग—एक

क. परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन

1. परीक्षा परिणाम [सेमेस्टर परीक्षा (मुख्य) सीसीई सहित]

क्रम	महाविद्यालय में अध्ययनरत कक्षाओं के परीक्षा परिणाम	प्रथम श्रेणी में अर्जित अंक	अंक
1.1	कला संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (80 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	170
1.2	विज्ञान संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170
1.3	वाणिज्य संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170
1.4	विधि संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (80 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	170
1.5	गृहविज्ञान संकाय	प्रथम श्रेणी (75 प्रतिशत से अधिक)	120 अंक
		प्रथम श्रेणी (85 प्रतिशत से अधिक)	140
		प्रथम श्रेणी (95 प्रतिशत से अधिक)	170

ख. व्यक्तित्व विकास और उपलब्धियां (75 अंक)

2. अध्ययन के दौरान शिक्षक द्वारा उपयोग में लायी गयी सीसीई विधाओं में भागीदारी

क्रम	उपयोग में लायी गयी किन्हीं 6 विधाओं में भागीदारी (शिक्षकों द्वारा प्रमाणित)	विधाएं	अंक	अधिकतम अंक 30
2.1		समूह चर्चा/समूह वार्ता/क्विज	5 अंक	
2.2		प्रश्न निर्माण/प्रश्न बैंक/मॉडल प्रश्नोत्तर	5 अंक	

2.3		क्लास टेस्ट/आकस्मिक/अर्ध-आकस्मिक टेस्ट	5 अंक
2.4		फील्ड वर्क/ सर्वे/डाटा संग्रह	5 अंक
2.5		विद्यार्थी कक्षा अध्यापन, मूल्यांकन/ प्रस्तुतीकरण	5 अंक
2.6		फ्लो चार्ट/पुस्तक सूची/सहायक पाठ्य सामग्री का विकास	5 अंक
2.7		मॉडल मेकिंग/रोल प्ले/ अभिनय/नाटकीय प्रस्तुतीकरण/ स्किट	5 अंक
2.8		पुस्तकालयीन कार्य/कैटलागिंग/प्रयोगशाला संबंधी कार्य	5 अंक
2.9		शीघ्र परियोजना कार्य/ लघु निबंध/किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू	5 अंक
2.10		फिल्म/वृत्तचित्र/ओएचपी/सीडी, डीवीडी निर्माण/ वर्चुअल कक्षाएं	5 अंक
3. राष्ट्रीय—सामाजिक प्रतिबद्धताएं			
			अधिकतम 20 अंक
3.1	एन.एस.एस. शिविर	रासेयो विशेष शिविर आयोजित में भागीदारी	5 अंक
3.2	एन.एस.एस./की गतिविधियां	विशेष अभियानों में सहयोग	5 अंक
3.3	एन.सी.सी.	एन.सी.सी. से संबंधित विशेष कार्यों में भागीदारी/ प्रशिक्षण/गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में प्रतिभागिता आदि.	5 अंक
3.4	एनसीसी सी प्रमाणपत्र		5 अंक
3.5	एनसीसी बी प्रमाणपत्र		4 अंक
3.6	एनसीसी ए प्रमाणपत्र		3 अंक
4. संस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये विशेष योगदान			
			5 अंक
4.2	कक्षा अध्यापन	शिक्षक द्वारा विषय ज्ञान के आधार पर आवंटित कार्य	3 अंक
4.3		दौरों पर जाने के कारण एम्बेसेडर प्राध्यापक द्वारा अपने स्थान पर अध्यापन कार्य.	2 अंक
5. सामुदायिक जागरूकता एवं अनुशासन			
			अधिकतम 5 अंक
5.1	छात्र संघ	सदस्य/कार्यक्रमों का संचालन-स्नेह सम्मेलन/पुरस्कार वितरण/ बैठकों में भागीदारी.	1 अंक

5.2	सुरक्षा-संरक्षा हेतु परामर्श	सदस्य—विद्यार्थी परामर्श/नैतिक बोध हेतु परामर्श प्रकोष्ठ में कार्य/अवसादग्रस्त विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में लाने का कार्य/मार्गदर्शन हेतु कार्य /नैतृत्व.	1 अंक
5.3	एंटी रैगिंग अभियान	सदस्य—जीरो टालरेंस पॉलिसी पर कार्य/प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य/कक्षा अनुशासक.	2 अंक
5.4	शिक्षक अभिभावक योजना	शिक्षक अभिभावक योजना के अन्तर्गत अपने अभिभावक के साथ उपस्थिति/उन्हें महाविद्यालयीन गतिविधियों की समय पर जानकारी देना (शिक्षक अभिभावक द्वारा प्रमाणित).	2 अंक
5.5	विद्यार्थियों का मोबाइल नेटवर्क	अध्ययन की सुविधा एवं सहायता एवं पारस्परिक आदान-प्रदान के लिये विद्यार्थियों का नेटवर्क बनाने का कार्य किया हो/कमजोर विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थियों से लाभान्वित करने की योजना के अन्तर्गत, कार्य (संयोजक/प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रमाणित).	1 अंक
5.6	विद्यार्थी कल्याण के लिए कर्त्तव्य और अधिकारों पर कार्य.	विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये कार्य/विशेष प्रयत्न/अनुशासन समिति के सदस्य/कर्त्तव्य और अधिकारों का ज्ञान (छात्र संघ प्रभारी द्वारा प्रमाणित).	1 अंक
6.	सांस्कृतिक-साहित्यिक गतिविधियों में प्रतिभागिता		अधिकतम 10 अंक
6.1	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक गतिविधियां	सदस्य/संचालन-सत्र भर आयोजित होने वाले कार्यक्रम/वार्षिक कार्यक्रमों में पुरस्कृत.	2 अंक
6.2	युवा उत्सव का आयोजन	सदस्य/संचालन—भाषण, निबंध, वाद-विवाद, अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिताएं (यदि विद्यार्थी ने अपने से इतर संस्था के साथ प्रतियोगिता/सहभागिता की).	2 अंक
6.3	बुक रीडिंग क्लब	सदस्य/संचालन—बुक रीडिंग क्लब (प्रत्येक सेमेस्टर में दस नवीन पुस्तकों का अध्ययन किया हो और विमर्श/चर्चा/बहस में प्रतियोगिता की हो).	4 अंक
6.4	क्रियेटिव राइटिंग क्लब	सदस्य/संचालन—क्रियेटिव राइटिंग क्लब (प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पुरस्कृत).	4 अंक
7.	पर्यावरणीय जागरूकता एवं परिसर सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास		5 अंक
7.1	पर्यावरण संबंधी कार्य	हरित परिसर विकास के लिये कार्य/स्वयं के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये योजना प्रस्तुत की हो और सप्रमाण क्रियान्वयन किया हो.	5 अंक
7.2	पर्यावरण सुरक्षा के लिये पहल.	कोई ऐसा नवाचार/पहल जिससे पर्यावरण को सुरक्षा का बल, अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा/पौधों को गोद लिया हो/संरक्षित किया हो.	5 अंक

भाग-दो

ग. गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिये विशेष प्रयास (45 अंक)

8.	संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर किये गये प्रकाशन कार्य में भागीदारी		अधिकतम 5 अंक
8.1	वार्षिक पत्रिका/न्यूज लेटर	संपादन में भागीदारी की हो/प्रूफरीडिंग किया हो—महाविद्यालय का न्यूजलेटर/वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग.	5 अंक

8.2	पुस्तक/संदर्भ ग्रंथ/प्रकाशन/संपादन.	विद्यार्थियों के व्यापक हित में संस्था द्वारा प्रकाशित पाठ सामग्री तैयार करने में योगदान.	5 अंक
8.3	पाठ्य सामग्री/सहायक सामग्री	प्रूफरीडिंग/अनुक्रणिका/पुस्तक सूची तैयार करना आदि	5 अंक
9.	प्लेसमेंट एवं रोजगारोन्मुखी जागरूकता के लिये प्रयास		अधिकतम 5 अंक
9.1	रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम/विद्यार्थियों का प्लेसमेंट	विद्यार्थी सदस्य—विवेकानन्द कैरियर गाईडेंस सेल द्वारा रोजगार मेला के आयोजन में कार्य/अंतिम सेमेस्टर में रोजगारोन्मुखी परियोजना पर कार्य.	3 अंक
9.2	अखिल भारतीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	3 अंक
9.3	राज्य स्तरीय सेवा	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	2 अंक
9.4	अन्य	यदि विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होकर कहीं चयनित	2 अंक
10.	गुणवत्ता हेतु नवाचारी प्रयासों को निरन्तर जारी रखने में योगदान		अधिकतम 5 अंक
10.1	भाषा सुधार अभियान	कार्य	अंक
10.2		अध्यापन के दौरान अपने विषय से संबंधित हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश निर्माण/पारिभाषिक शब्द संचय/वर्तनीगत अशुद्धियों के संशोधन के लिये कार्य.	5 अंक
10.3		विद्यार्थियों द्वारा लिखित आवेदनों का संशोधन एवं सुधार/भाषा सुधार अभियान के सदस्य के रूप में कार्य/महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर रोजाना 5 (अंग्रेजी-हिन्दी) शब्द लिखे हों (कम से कम एक माह)	5 अंक
11.	विशेष नवाचारी कार्य		अधिकतम 5 अंक
11.1	प्रतिभा बैंक के गठन में सहयोग.	प्रतिभा बैंक/प्रतिभा बैंक के गठन में सहयोग, स्थानीय प्रतिभाओं को जोड़ने की पहल.	5 अंक
12.	अन्य नवाचारी कार्य		अधिकतम 5 अंक
12.1	पुस्तकालय में नियमित स्तंभ लेखन (कम से कम एक माह तक).	संयोजक/सदस्य—आज का विचार/नियमित स्तंभ "आज का विचार" संचालित करने के लिए विचार दिये हों.	5 अंक
12.2	सूक्तियां	सूक्तियों का संग्रह किया हो	5 अंक
12.3	राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत/म.प्र. गान	राष्ट्रगान/म. प्र. गान/विद्यार्थियों को संबोधन/अन्य विद्यार्थियों को कंठस्थ कराने के लिये कार्य.	5 अंक
12.4	प्रार्थना /झंडावंदन	विद्यार्थी संयोजक/सदस्य—नियमित प्रार्थना / नियमित झंडा-वंदन करने में सहयोग.	5 अंक

13. शून्य/सेतु कक्षाएं/सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता			अधिकतम 10 अंक
क्रम	शून्य/सेतु कक्षाएं (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार)	कार्य/स्थान	अंक
13.1	शून्य/सेतु कक्षाएं	प्रथम स्थान प्राप्त	5 अंक
13.2	शून्य/सेतु कक्षाएं	द्वितीय स्थान प्राप्त	4 अंक
13.3	शून्य/सेतु कक्षाएं	तृतीय स्थान प्राप्त	3 अंक
13.4	सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (दोनों सेमेस्टर में कम से कम एक बार).	प्रथम/स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	5 अंक
13.5		द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	4 अंक
13.6		तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगिता एवं प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला	3 अंक
14. अकादमिक वातावरण निर्माण के लिये कार्य			
क्रम	राज्यस्तरीय-राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध, गुणवत्ता विनिमय.	विभिन्न राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से अकादमिक/शोध कार्य/विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिये योजना.	अंक कुल 10 अंक
14		अनुबंध के तहत जिले/संभाग के अन्य महाविद्यालयों में गुणवत्ता के आदान-प्रदान के लिये चयनित विद्यार्थी.	10 अंक

भाग-तीन

छ: प्रशंसा एवं प्रमाण पत्र (कुल 10 अंक)

आवेदन करने तक सम्पूर्ण शिक्षाविधि में प्राप्त

15. सम्मान एवं पुरस्कार प्रशंसा एवं प्रमाण-पत्र—

(अकादमिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, क्रीड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण, नैतिक बोध और शैक्षणिक कार्यों के लिये आवेदन करने तक सम्पूर्ण कार्याविधि में प्राप्त/मान्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त)

			अधिकतम 10 अंक
15.1	राष्ट्रीय स्तर/ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर		अधिकतम 4 अंक
15.1.1		अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
15.1.2		साहित्यिक	1 अंक
15.1.3		वैज्ञानिक	1 अंक
15.1.4		समाज सेवा	1 अंक
15.1.5		नैतिक बोध	1 अंक
15.1.6		अध्यात्म	1 अंक
15.1.7		पर्यावरण	1 अंक
15.2	प्रादेशिक स्तर पर		अधिकतम 4 अंक
15.2.1		अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक

15.2.2	साहित्यिक	1 अंक
15.2.3	वैज्ञानिक	1 अंक
15.2.4	समाज सेवा	1 अंक
15.2.5	नैतिक बोध	1 अंक
15.2.6	अध्यात्म	1 अंक
15.2.7	पर्यावरण	1 अंक
15.3	विश्वविद्यालय/संभाग	अधिकतम 4 अंक
15.3.1	अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
15.3.2	साहित्यिक	1 अंक
15.3.3	वैज्ञानिक	1 अंक
15.3.4	समाज सेवा	1 अंक
15.3.5	नैतिक बोध	1 अंक
15.3.6	अध्यात्म	1 अंक
15.3.7	पर्यावरण	1 अंक
15.4	जिला स्तर पर	अधिकतम 4 अंक
15.4.1	अकादमिक-शैक्षणिक	1 अंक
15.4.2	साहित्यिक	1 अंक
15.4.3	वैज्ञानिक	1 अंक
15.4.4	समाज सेवा	1 अंक
15.4.5	नैतिक बोध	1 अंक
15.4.6	अध्यात्म	1 अंक
15.4.7	पर्यावरण	1 अंक

भाग-4

पुरस्कार हेतु प्राचार्य का अनुशंसा पत्र

(1) आवेदन के साथ समस्त प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं. मेरे विरुद्ध महाविद्यालय से संबंधित कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.

आवेदक विद्यार्थी द्वारा स्व-प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

(2) आवेदन के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित प्रतियों का मिलान मूल से किया गया जिन्हें सही पाया गया. अतः विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पुरस्कार के लिये अनुशंसित किया जाता है.

प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद/मुद्रा